

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय  
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

क्र. प्रशा./महिला उत्पीड़न/ई-1/फा.20/का.आ- 10

दिनांक:- 08.04.2024

//कार्यालय आदेश//

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 3 (ग) के अनुसार इस कार्यालय में कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु शिकायत समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1	सुश्री सरिता कुमारी गुप्ता, वरि. उप महालेखाकार (निधि)	अध्यक्षा
2	श्री बी डी टेरक, वरि. लेखा अधिकारी	सदस्य
3	श्रीमती शोभा सतीश, प्रभारी वरि. लेखा अधिकारी	सदस्य
4	सुश्री श्रुति पाण्डेय, सहायक लेखा अधिकारी	सदस्य

(प्राधिकार:- प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक 05-04-2024 )

हस्ता/-

वरि. उप महालेखाकार/प्रशासन

क्र. प्रशा./महिला उत्पीड़न/ई-1/फा.20/एस.टी.आर-11/110

दिनांक:- 08.04.2024

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
2. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-द्वितीय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
3. उप महालेखाकार (प्रशासन) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
4. उप महालेखाकार (प्रशासन) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-द्वितीय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
5. वरि. उप महालेखाकार (निधि) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-द्वितीय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
6. सुश्री सरिता कुमारी गुप्ता, वरि. उप महालेखाकार (निधि)
7. श्रीमती शोभा सतीश, प्रभारी वरिष्ठ लेखा अधिकारी
8. श्री बी डी टेरक, वरि. लेखा अधिकारी
9. सुश्री श्रुति पाण्डेय, सहायक लेखा अधिकारी
10. वरि. लेखा अधिकारी/निधि विविध-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-द्वितीय, शाखा भोपाल, 53 अरेरा हिल्स होशंगाबाद रोड भोपाल
11. वरि. लेखा अधिकारी/ई.डी.पी., कार्यालय की महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी गठित

समिति का विवरण कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

- 12 प्रभारी वरि. लेखा अधिकारी/गोपनीय अनुभाग
- 13 सूचना पटल
- 14 गार्ड फाईल

Signed by Ravindra Singh  
वरि.लेखा अधिकारी/प्रशासन  
Date: 05-04-2024 17:40:36